पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 05/2018 | तारीख दायर 15-01-2018 | तारीख फैसला 12/11/2020

उनवान

01. भानूप्रताप सिंह उम्र करीब 4 वर्ष।
02. अनुज उम्र करीब 8 माह पुत्रान श्री दीपक।
03. ऐंजल उम्र करीब 5 वर्ष पुत्री दीपक नाबालिगान जरिये वलीसरपरस्त माता श्रीमती पूजादेवी पत्नी श्री दीपक उम्र करीब 27 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण ग्राम महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)।

----:: वादीगण

बनाम

01. दीपक पुत्र स्व. श्री कर्णसिंह उम्र करीब 28 साल।
02. शशि पत्नी स्व0 श्री कर्णसिंह उम्र करीब 52 साल जाति राजपूत निवासीगण ग्राम महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)।
03. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर।

-----:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक एवं हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरार हक एवं हुक्मइम्तनाई दवामी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण जो कि नाबालिगान है तथा जो पूजा देवी की वलीसरपरस्त में रह रहे है। विवादित आराजी में वादीगण के जन्म से ही हक व अधिकार निहित है तथा वादीगण अपने हिस्से पर काबिज है। मिन पूजादेवी, वादीगण के नाबालिगान के हक हकूका की रक्षार्थ यह संशोधित वाद पत्र अपने हस्ताक्षरों से पेश कर रही है। हाल खसरा नम्बर 182 रकबा 0.3800 है में से प्रतिवादी संख्या 1 दीपक का मुताबिक जमाबन्दी 5/12 हिस्सा तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0600 है0, 184 रकबा 1.22 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 दीपक का मुताबिक जमाबन्दी 1/2 भाग में से 1/4 भाग तथा रामचन्द्र पुत्र सुक्का की विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 भाग में से 1/4 हिस्सा वाके ग्राम महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा उपरोक्त वाद पत्र में विवादित आराजी कहलावेगी। विवादित आराजी जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है वो मिन वादीगण की पैत्रिक, दादालाई आराजी है, वह आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विरासत से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 2 मिन वादीगण की दादी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 मिन वादीगण का पिता है। मिन वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के जाईन्दा सन्तान/वारिसान है। जिस पर मिन वादीगण का बाई बर्थ

...काबिज व दाखिल है। उक्त ...वादी संख्या 1 के नाम दर्ज जमाबन्दी रिकार्ड में वादीगण 1/4, 1/4, 1/4 भाग यानि 3/4 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं का 1/4 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज जमाबन्दी रिकार्ड में वादीगण 1/5 1/5 1/5 भाग यानि 3/5 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं का 1/5 भाग निहित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिन वादीगण विवादित आराजी में मौके पर अपने भाग पर काबिज व दाखिल है तथा वास्तविक कब्जा है। उक्त विवादित आराजी मिन वादीगण जन्म से ही बदस्तूर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल चले आ रहे है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0600 है0, 184 रकबा 1.22 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/12 व 1/12 तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 0.38 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 5/72 5/72 हिस्सा वाके ग्राम महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा उपरोक्त वाद में विवादित आराजी है। विवादित आराजी वादीगण की दादालाई पैत्रिक आराजी है। जिस पर वादीगण का बाई बर्थ हक व अधिकार निहित है। वादीगण विवादित आराजी में अपने हिस्से की भूमि पर जन्म से ही काबिज व दाखिल है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि दीगर लोगों व प्रोपर्टी डीलरों के बहकावें में है और उक्त विवादित आराजी को बेचान करना चाहते है। जिन्होनें कई बार मौके पर आकर दीगर लोगों को जमीन दिखाई है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। जबकि विवादित आराजी वादीगण की दादालाई पैत्रिक आराजी है। उक्त विवादित आराजी पर मिन वादीगण जन्म से ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। जिस पर मिन वादीगण बाई बर्थ हक व अधिकार निहित है। उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज जमाबन्दी रिकार्ड में वादीगण संख्या 1/4, 1/4, 1/4 भाग यानि 3/4 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं का 1/4 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज जमाबन्दी रिकार्ड में वादीगण का 1/5, 1/5, 1/5 भाग यानि 3/5 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं का 1/5 भाग निहित है। हिन्दुउत्ताधिकार अधिनियम के तहत मिन वादीगण विवादित आराजी में मौके पर अपने भाग पर काबिज व दाखिल है। वादीगण इसी कदर काश्तकार खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने नाम का अमल कराकर इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। दादालाई पैत्रिक विवादित आराजी में वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से जवरन वेदखल नहीं करें, ना ही उनके कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न करें, ना ही अमल के आधार पर किसी दीगर जगह रहन, बैय हिबा आदि से मुन्तकिल करें, ना ही वादीगण को आने जाने से रोके ना ही जवरन तामीरात करें। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वादीगण ने दावा के साथ सूचि अनुसार दस्तावेज संलग्न किये है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलव किया जाकर जवाव दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। प्रतिवादी नम्वर 1 व 2 तामील के उपरान्त अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर संशोधित वाद पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित वाद पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वहस वकील वादी एकतरफा सुनी गई।

... का अवलोकन किया तथा बहस वकील वादी पर मनन किया। विवादित आराजी वादीगण की दादालाई पैत्रिक आराजी होने के कारण वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर अपना नाम दर्ज कराने के कानूनन हकदार होने के कारण वादीगण का वाद डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0600 है0, 184 रकबा 1.22 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रकबे पर वादीगण 1 लगायत 3 को 1/4, 1/4, 1/4 भाग पर तथा शेष भाग प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करने एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रकबे में से 1/5, 1/5, 1/5 भाग वादीगण 1 लगायत 3 के नाम तथा शेष भाग प्रतिवादी संख्या 2 के ही नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी प्रकार हाल आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 0.38 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रकबे पर वादीगण 1 लगायत 3 को 1/4, 1/4, 1/4 भाग पर तथा शेष भाग प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करने एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रकबे में से 1/5, 1/5, 1/5 भाग वादीगण 1 लगायत 3 के नाम तथा शेष भाग प्रतिवादी संख्या 2 के ही नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते ह पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

12/11/2020

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 05/2018 | तारीख दायर 15-01-2018 | तारीख फैसला 12/11/2020

उनवान

01. भानूप्रताप सिंह उम्र करीब 4 वर्ष।
02. अनुज उम्र करीब 8 माह पुत्रान श्री दीपक।
03. ऐंजल उम्र करीब 5 वर्ष पुत्री दीपक नाबालिगान जरिये वलीसरपरस्त माता श्रीमती पूजादेवी पत्नी श्री दीपक उम्र करीब 27 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण ग्राम महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)।

———:: वादीगण

बनाम

01. दीपक पुत्र स्व. श्री कर्णसिंह उम्र करीब 28 साल।
02. शशि पत्नी स्व0 श्री कर्णसिंह उम्र करीब 52 साल जाति राजपूत निवासीगण ग्राम महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)।
03. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा जिला अलवर।

————:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक एवं हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिक्री ::–

आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0600 है0, 184 रकबा 1.22 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रकबे पर वादीगण 1 लगायत 3 को 1/4, 1/4, 1/4 भाग पर तथा शेष भाग प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करने एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रकबे में से 1/5, 1/5, 1/5 भाग वादीगण 1 लगायत 3 के नाम तथा शेष भाग प्रतिवादी संख्या 2 के ही नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी प्रकार हाल आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 0.38 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रकबे पर वादीगण 1 लगायत 3 को 1/4, 1/4, 1/4 भाग पर तथा शेष भाग प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करने एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रकबे में से 1/5, 1/5, 1/5 भाग वादीगण 1 लगायत 3 के नाम तथा शेष भाग प्रतिवादी संख्या 2 के ही नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

12/11/20

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)